

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

रा 107 दं0प्र0सं0

वाद सं0 44/2021

प्रथम पक्ष - जुएल तोपनो ।

बनाम

द्वितीय पक्ष - एफीस तोपनो बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 18/2/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 24/2021 दिनांक 19/06/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) जुएल तोपनो उम्र 65 वर्ष पिता स्व० प्रसाद मुण्डा सा० चितापीडी थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) एफीस तोपनो उम्र 55 वर्ष पिता दानिएल तोपनो (2) फिलीप तोपनो उम्र 28 वर्ष पिता एफिस तोपनो (3) एसाक तोपनो उम्र 50 वर्ष पिता स्व० दानियल तोपनो (4) अनमोल तोपनो उम्र 24 वर्ष पिता इसाक तोपनो (5) रेजन तोपनो उम्र 38 वर्ष (6) नियरजन तोपनो दोनो पिता लोडगो तोपनो सभी सा० चितापीडी थाना कामडारा जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उभय पक्षों के बीच उक्त वादगत की कार्यवाही अवधि में शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने एवं उक्त वाद की समय अवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।	




 अनुमण्डल दण्डाधिकारी
 बसिया(गुमला)।